1. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, गतिविधियों तथा दायित्व का ब्यौरा

29 मार्च 1970 को लोकसभा में पारित अधिनियम (16,1970) के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश के अनुसार पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विभाजन के फलस्वरूप 2 फरवरी 1970 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तत्पश्चात् 31 अक्तूबर 1991 में इसे चौ0 चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय नाम से अभिहित किया गया।

विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर हिसार में राष्ट्रीय राजमार्ग न0 10 पर दिल्ली (के उत्तर पश्चिम में) से 162 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित है जो रेलवे रिटेशन से ढाई कि0 मी0 तथा बस अड्डे से तीन कि0 मी0 की दूरी पर पड़ता है। विश्वविद्यालय का (हिसार स्थित) परिसर 2922 हेक्टेयर तथा इसके बाहरी केन्द्रों पर 578 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हिसार स्थित परिसर में 2624 हेक्टेयर क्षेत्रफन में इसका फार्म स्थित है तथा 298 हेक्टेयर में सड़के व भवन बने हुए हैं। विश्वविद्यालय ने अस्तित्व में आने के बाद अपने मूलभूत ढांचे में अभूतपूर्व उन्नित की है। विधार्थियों की शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति में यह विश्वविद्यालय भारत के अति विकसित परिसरों में से एक है।

गतिविधियां

नियम एवं अधिनियम (भाग-७ के पृष्ठ-४ पर विवरण उपलब्ध है।

दायत्वि

नियम एवं अधिनियम (भाग-९ के पृष्ठ ५ से ७ पर) विवरण देखा जा सकता है।

- 2. विश्वविद्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य नियम एवं अधिनियम भाग 16 से 22 के पृष्ठ 13 से 17 तथा पृष्ठ 45 से 55 पर इसका विवरण उपलब्ध है।
- 3. पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि

निर्णय लेने की प्रक्रिया

नियम एवं अधिनियम पुस्तिका में विवरण निम्नलिखित पृष्ठों पर उपलबध है : पृष्ठ 8 से 12(अनुभाग 13-14) पृष्ठ 17 से 18(अनुभाग 23)



```
및 19 원 20(अनुभाग 24(3)
및 25 원 26(अनुभाग 34(2)
```

पृष्ट ३३ से ३८

पर्यवेक्षण

नियम एवं अधिनियम (अनुभाग 10) के पृष्ठ 6 से 7 पर इसका विवरण उपलब्ध है।

4. कार्यों के निर्वहन हेतू नियम

विश्वविद्यालय के नियम एवं अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रशासन एवं अधिकारी वर्ग द्वारा कार्य सौंपे जाते हैं। इसका विस्तृत विवरण नियम एवं अधिनियम पुस्तिका के निम्नलिखित पृष्ठों पर उपलब्ध हैं:

पृष्ठ ११ से १२(अनुभाग १४)

पृष्ठ 13 से 18(अनुभाग 16-23)

पृष्ठ 19 से 20(अनुभाग 24(3)

पृष्ठ २५ से २६(अनुभाग ३४(२)

पृष्ठ ३३ से ३८

पृष्ठ ४५ से ५५

 कार्यो के विवरण हेतु विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए तथा कर्मचारियों द्वारा मान्य नियम, दिशा-निर्देश विवरण पुस्तिका एवं रिकॉर्ड

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय; पंजाब एवं हरियाणा विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 से अनुशासित हैं। विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित नियम एवं अधिनियम पुस्तिका में नियमों, दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिनियम प्रावधानों के तहत प्रशासनिक एवं वित्तिय अधिकार दिये गये हैं।

आवश्यक विवरण नियम एवं अधिनियम पुस्तिका के निम्नलिखित पृष्ठों पर उपलब्ध हैं: पृष्ठ 22 से 25(अनुभाग 31-33)

-पृष्ठ 283 से 311 नियम एवं अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों एवं अधिकारियों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने के सन्दर्भ में।

विश्वविद्यालय के मैनुअलज् (विवरण पुस्तिका) की विस्तृत जानकारी निम्नलिखित हैः

- 1) एक्ट एण्ड स्टैब्यूट्स (Vol-I)
- 2) शैक्षणिक कैलेण्डर (Vol-II)
- 3) सामान्य नियमावली कैलेण्डर (Vol-III)



- 6. विश्वविद्यालय तथा इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी दस्तावेजों का वर्गीकरण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा एवं पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम १९७० से अनुशासित हैं। नियमों एवं दिशा-निर्देशों से सम्बन्धित विवरणिका/दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है:
 - 1) नियम एवं अधिनियम (Vol-I)
 - 2) शैक्षणिक कैलेण्डर (Vol-II)
 - 3) सामान्य नियमावली कैलेण्डर (Vol-III)
- 7. किसी विद्यमान व्यवस्था (arrangement) के विषय में विस्तृत विवरण हेतु सूचना प्राप्त करना अथवा नीति-निर्धारण एवं कार्यान्वयन में जनप्रतिनिधित्व

अधिनियम (पृष्ठ 8-9 के अनुभाग 13) के तहत विश्वविद्यालय के प्रबन्धन बोर्ड के गठन का विवरण दिया गया है। उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार गैर सरकारी सदस्य को प्रबन्धन बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है।

अधिनियम पृष्ठ 25-26 के अनुभाग 34(2) के अनुसार वित्तीय समिति का गठन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। जिसमें एक गैर सरकारी सदस्य को लिया जाता है। विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ के अध्यक्ष एवं गैर शिक्षक संघ के अध्यक्ष को प्रबन्धन बोर्ड की मीटिंग में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से आमान्त्रित किया जाता है।

8. प्रबन्धन बोर्ड, परिषद, सिमितियों तथा अन्य संस्थाओं (जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों को उनके सुझाव के लिए लिया जाता है) की मीटिंग्स की कार्यसूची एवं कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण की सामान्य जनता तक उपलब्धता

प्रबन्धन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद, वित्तीय समिति, अध्ययन बोर्ड तथा अन्य समितियों के गठन हेतु नियम एवं अधिनियम पुस्तिका में प्रावधान हैं जिनका विवरण इस प्रकार हैं:

प्रबन्धन बोर्ड - अनुभाग 13 (पृष्ठ 8-9) अधिनियम (Act) शैक्षणिक परिषद - अनुभाग 23 (पृष्ठ 17-18) अधिनियम (Act) अध्ययन बोर्ड - अनुभाग 24(3) (पृष्ठ 19-20) अधिनियम (Act) वित्तीय समिति - अनुभाग 34(2) (पृष्ठ 25-26) अधिनियम (Act) प्रबन्धन बोर्ड - (पृष्ठ 33-34) नियम (Statutes) शैक्षणिक परिषद - (पृष्ठ 34-36) नियम (Statutes) अध्ययन बोर्ड - (पृष्ठ 37-38) नियम (Statutes) अनुसंधान सलाहकार समिति - पृष्ठ 36 नियम (Statutes)

अधिनियमों के प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय के प्रबन्धन बोर्ड एवं वित्तीय समिति में गैर सरकारी सदस्य को सम्मिलित किया जाता है।

The particulars of its organization, functions and duties. Organization of CCS HAU The Haryana Agricultural University was established on February 2, 1970, as a result of bifurcation of the erstwhile Punjab Agricultural University through a Presidential Ordinance, ratified later by the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970 (Act No. 16 of 1970) passed by the Lok Sabha on 29th March, 1970. From 31st October, 1991, it has been renamed as "Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University". The main campus of the University is situated at Hisar at a distance of 162 KM North-West of Delhi on National Highway NO.10 and is 2 1/2 KM from the railway station and 3 KM from the Bus Stand. University is spread over an area of 2922 hectares at Hisar and 578 hectares at outstations. Area at Hisar under farms is 2624 hectares and under buildings and roads is 298 hectares. During its existence so far it has made rapid progress in building an excellent infrastructure. It has one of the best developed campuses in India to meet academic and extracurricular needs of the students. <u>Functions</u> Details may be seen at page-4 (Section-7) of the Act & Statutes. Duties Details may be seen at page - 5 to 7 (Section-9) of the Acts & Statutes. The powers and duties of its officers and employees. 2. Details may be seen at page-13 to 17 (Section-16 to 22) as well as page-45 to 55 of the Act & Statutes. The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability. Decision making process The details may be seen at following pages of the Act & Statutes:-Page 8 to 12 (Section- 13 & 14). Page 17 to 18 (Section- 23). Page 19 to 20 (Section-24 (3) Page 25 to 26 (Section-34(2). Page 33 to 38.

orlingles

	OC*
	3) General Rules and Regulations (Vol.III)
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation thereof;
2	The constitution of Board of Management of the University is given under Section-13 of the Act (page-8-9). The non-official members coming are associated in the Board of Management as per provisions contained in Section-13 of the Act. As per provision contained in Section-34 (2) of the Act (Page 25-26), the Finance Committee is constituted by the University wherein one non-official member. In the President of HAUTA and CCS HAU Employees Federation are invited to attend the meetings of the Board of Management as special invitee.
8.	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.
	There are provisions in the Act & Statutes regarding constitution of Board of Management, Academic Council, Finance Committee, Board of Studies, other statutory Bodies/Committees. The details thereof are given as under:-
	Board of Management: Academic Council: Board of Studies: Finance Committee: Board of Management: Academic Council: Board of Management: Academic Council: Board of Studies: Board of Management: Academic Council: Board of Management: Section-13 (page 8-9) of the Act Section-24(3) (page-25-26) of the Act Section-34(2) (page-25-26) of the Act Section-23(page 17-18) of the Act Section-23(page 17-18) of the Act Section-24(3) (page-37-36) of the Act Section-34(2) (page-37-36) of the Statutes page 33-34 of the Statutes page-37-38 of the Statutes page-37 of the Statutes Committee:
	As per provisions contained in the Act, non official members are associated in the Board of Management and Finance Committee of the University.